पत्रक

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस. नवलगढ़

रामसिह पुत्र श्री प्रहलाद सिह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।	**–बनाम–**	**उम्मेद सिंह पुत्र लादू सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि।**
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा		**मु.नं. 13 / 2022** **GCMS No**

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
14.02.22	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत द्वारा विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम पहाड़िला पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 4.23 हैक्टर में किसी भी विशेष भू–भाग पर न तो स्वयं कब्जा करे, ना ही अन्य किसी से करवाये, ना ही स्वयं बेदखल करे, ना ही अन्य किसी से करावे ना ही बिना विधिवत विभाजन के विशेष भाग पर कब्जा न तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी से करावे, ना ही अजनबी क्रेता को विक्रय करे। आवेदक को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक वाके राजस्व ग्राम ग्राम पहाड़िला पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 4.23 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10.03.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) दमयंती कंवर (R.A.S.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	
10/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक ने प्रा० पत्र को नोट प्रेस कर आगे नही चलाना चाहा। अतः प्रा० पत्र/प्रकरण नोट प्रेस के आधार पर इसी स्तर पर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो तथा बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ	Not Pressed dismissed at liminal (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:42:32 IST
Reason: SelfAttested